

न्यायालय कलक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट, भरतपुर

प्रा.पत्र / 10 / 2019

पंजाब एण्ड सिंध बैंक शाखा, नई मण्डी स्टेशन रोड भरतपुर जरिये प्राधिकृत अधिकारी

.....प्रार्थी सिक्थोर क्रेडिटर

बनाम

1-मैसर्स शिवम एन्टरप्राइजेज प्रो. रामवीर सिंह पुत्र स्व. श्री धारा सिंह, ग्राम माई गुर्जर पोस्ट चिचाणस, तहसील व जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी ऋणी

2-मानसिंह पुत्र स्व. धारा सिंह, ग्राम माई गुर्जर पोस्ट चिचाणस, तहसील व जिला भरतपुर

3-रणवीर सिंह पुत्र धारा सिंह, ग्राम माई गुर्जर पोस्ट चिचाणस, तहसील व जिला भरतपुर

4-प्रेमशंकर शर्मा पुत्र श्रीनिवास शर्मा, ग्राम सेंथारा, पोस्ट धारुमुई, तहसील भरतपुर

5-दिनेश सिंह पुत्र स्व. चुन्नीलाल सिंह 115 सीआईएमएमसीओ (सिमको) लेबर कॉलोनी पूर्व बाग वार्ड नं. 40 तहसील व जिला भरतपुर

.....अप्रार्थी गारन्टर

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 सिक्थोरिटाईजेशन एण्ड रीकनस्ट्रक्शन ऑफ फाइनान्सियल एनफोर्समेन्ट ऑफ इन्टरस्ट एक्ट 2002

आदेश

दिनांक 7.2.2019

प्रार्थी द्वारा यह प्रार्थना पत्र विरुद्ध अप्रार्थी0 अन्तर्गत धारा 14 वित्तीय अस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूतिकरण प्रवर्तन अधिनियम, 2002 के तहत विरुद्ध अप्रार्थी0 ऋणी से बंधक सम्पत्ति का कब्जा दिलाये जाने प्रस्तुत कर निवेदन किया गया है कि अप्रार्थी0 ने खाता संख्या 13/1161 में 195000/- अर्म लोन खाता नं. 12/96 में 35000/- दोनों खातों में कुल 286383/- की ऋण सुविधा दिनांक ओपडीपी लोन खाते में दिनांक 27.3.2009 एवं टर्म लोन खाते में दिनांक 29.12.2010 का ओडीपी लोन एवं टर्म लोन के बाबत उपलब्ध कराई थी। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी0 ने पट्टा न.4 (क्षेत्रफल 618.44 वर्ग गज) ग्राम माई गुर्जर, पोस्ट चिचाणा तहसील व जिला भरतपुर को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था।

अप्रार्थी के द्वारा ऋण राशि एवं ब्याज राशि को समय अवधि में जमा नहीं कराई गई, जिसके कारण अप्रार्थी0/ऋणी के खाता को दिनांक 29.12.2013 को एन.पी.ए.(अनर्जक परिसम्पत्ति) घोषित कर दिया गया। प्रार्थी बैंक के दिनांक 31.5.2014 तक दोनों खातों में कुल 286383/- रुपये ब्याज एवं अन्य खर्चें अप्रार्थी0 पर बकाया निकलता है। जिसको अप्रार्थी0 ऋणी के द्वारा जमा नहीं कराया गया है। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा 13 (2) का नोटिस दिनांक 14-7-2014 को अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किया गया और उनसे आग्रह किया गया कि वह इस नोटिस की प्राप्ति के 60 दिवस के अन्दर समस्त बकाया रकम को मय ब्याज अदा करें। किन्तु अप्रार्थी0 द्वारा निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी कोई राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। अतः ऋण सुविधा प्राप्त करते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त सम्पत्ति का भौतिक कब्जा दिलाये जाने की प्रार्थना की गई है।

.....2

जिला कलक्टर  
भरतपुर (गज०)

(2)

प्रा.पत्र / 10 / 2019

पंजाब एण्ड सिन्ध बैंक बनाम शिवम एन्टरप्राइजेज वगै०

पत्रावली का अवलोकन किया गया। उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी०/ऋणी ने उपर्युक्त सम्पत्तियों को प्रार्थी के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। प्रार्थी बैंक द्वारा एक्ट की धारा- 13(2) का नोटिस दिनांक 14-7-2014 अप्रार्थी को बकाया ऋण अदायगी हेतु जारी किये गये, तथा उक्त नोटिस की निर्धारित समय अवधि 60 दिवस के बाद भी अप्रार्थीगण द्वारा राशि जमा नहीं की गई है। बैंक द्वारा ऋण राशि एवं देय ब्याज राशि की अदायगी हेतु सभी प्रयास करने के बावजूद भी अप्रार्थी ऋणी द्वारा ऋण राशि अदायगी नहीं की गई है। बैंक के द्वारा वसूली हेतु सभी तरह के प्रयास के बावजूद राशि नहीं चुकाने पर अन्तिम रूप से उक्त एक्ट की धारा 14 के तहत यह प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है। अतः ऐसी स्थिति में अप्रार्थीया/ऋणी के द्वारा ऋण सुविधा लेते समय बन्धक रखी गई उपर्युक्त अचल सम्पत्ति का कब्जा प्राप्त करने के लिये प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाना उचित पाते हैं।

अतः आदेश है कि :-

अतः उक्त प्रार्थना-पत्र स्वीकार किया जाकर आदेशित किया जाता है कि अप्रार्थी० द्वारा प्रार्थी बैंक से ऋण सुविधा लेते समय उक्त प्राप्त ऋण सुविधा के ऐवज में अप्रार्थी० ने पट्टा न.4 (क्षेत्रफल 618.44 वर्ग गज) ग्राम माई गुर्जर, पोस्ट चिचाणा तहसील व जिला भरतपुर को प्रार्थी बैंक के हक में बंधक किया था व बंधक विलेख निष्पादित किया था। उसका भौतिक कब्जा लेने हेतु प्रार्थी बैंक को जरिये प्रतिनिधि अधिकृत किया जाता है। निर्णय की प्रति जिला पुलिस अधीक्षक भरतपुर को इस निर्देश के साथ प्रेषित की जाती है कि प्रार्थी के खर्चे पर उनकी आवश्यकतानुसार चाहे जाने पर पुलिस सहायता उपलब्ध कराई जावे।

( डॉ० अरुण मलिक )

जिला मजिस्ट्रेट एवं कलक्टर  
भरतपुर

सत्यमेव जयते

Web Copy - Not Official